

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012—कार्तिक 18, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 26 जून 2012

जावक क्र. 338-5-11-2012-क्र. 1893-6-प्रवाचक-1-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 (2) (1) के अन्तर्गत नगर परिषद्, राऊ, जिला इन्दौर के उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना पति सुनील यादव, उपाध्यक्ष द्वारा पारिवारिक (निजी) कारणों से प्रस्तुत त्यागपत्र 26 जून 2012 स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश नगर परिषद् राऊ में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 26 जून 2012 से रिक्त घोषित करता हूँ.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

इन्दौर, दिनांक 28 अगस्त 2012

जावक क्र. 340-5-11-2012-क्र. 1893-6-प्रवाचक-1-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 (2) (1) के अन्तर्गत नगर परिषद्, बेटमा, जिला इन्दौर के उपाध्यक्ष श्रीमती परवीन बी पति फिरोज, उपाध्यक्ष, वार्ड क्र. 5 द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियों कारणों से प्रस्तुत त्यागपत्र 28 अगस्त 2012 स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश नगर परिषद् राऊ में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 28 अगस्त 2012 से रिक्त घोषित करता हूँ.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.